International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 12 Issue 1, Jan.-Feb., 2024, Impact Factor: 8.376

अनुसूचित जातियों से संबंधित समस्याओं व प्रावधानों का ऐतिहासिक अध्ययन

प्रिया रानी[1], डॉ. सुभाष बलहारा[2]

[1,2] इतिहास विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

सारांश

वर्तमान में अनुसूचित जातियों द्वारा अनेक समस्याओं का सामना किया जा रहा है– वर्ण व्यवस्था जो वैदिक काल में भी विद्यमान थी। वह आज जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। अनुसूचित जातियां जिन्हें अछूत कहा जाता है, आज भी विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अन्य विकलांगताओं से पीड़ित है। इन्हें समाज में समान दर्जा दिलवाने के लिए सरकार द्वारा संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है ताकि इन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, परन्तु ये जातियां आज भी समाज की मुख्य धारा के साथ समन्वय स्थापित करने में असमर्थ है।

शब्द संकेतः दलित, अस्पृश्यता, वर्ण–व्यवस्था, जातिवाद, शूद्र, शोषण।

भूमिका

प्राचीन समय से ही भारतीय समाज में एकरूपता नहीं पाई गई। यदि भारतीय इतिहास का अध्ययन किया जाए तो हम पाएंगे की प्राचीन समय में भारतीय समाज की स्थिति मध्यकालीन तथा वर्तमान समाज की अपेक्षा भिन्न थी। प्राचीन समय में भारतीय समाज का आधार कार्य कुशलता थी, जो कि वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न था। समाज वर्ण व्यवस्था के अनुरूप विभाजित था। अपने योग्यता के आधार पर वर्ण को बदला जा सकता था। उत्तरवैदिक काल तक अनेक कुरीतियां समाज में व्याप्त हो गई तथा सामाजिक वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। वर्ण व्यवस्था के परिणामस्वरुप निम्न वर्ग की स्थिति दयनीय हो गई। निम्न वर्ग को शोषित किया जाने लगा। समाज में उनके अधिकारों का हनन किया जाने लगा। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही की मनाही की गई। उन्हें घृणा का पात्र माना गया।

उत्तर वैदिक काल में सामाजिक कुरीतियों के आगमन के पश्चात् जाति व्यवस्था कठोर होने लगी। समाज चार वर्गों में विभक्त था –ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों की स्थिति समाज में सबसे उच्च अधिक, वैदिक अनुष्ठानों संबंधी कार्य उन्हीं के द्वारा संपन्न किए जाते थे। क्षत्रिय वर्ग का कार्य युद्ध तथा रक्षा संबंधी था। वेश्य कृषि तथा व्यापार संबंधी कार्यों में संलग्न थे। शुद्र वर्ण का कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा से संबंधित था। अब सामाजिक वर्ण व्यवस्था कार्य कुशलता पर आधारित न होकर वंशानुगत हो गई थी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में जातिवाद अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर था। दलितों को शोषित किया जा रहा था।

अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइमन कमीशन के द्वारा वर्ष 1935 में किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अनुसूचित जाति के लिए शोषित वर्ग, दलित, अछूत आदि नाम का प्रयोग किया जाता था। गांधी जी द्वारा इन्हें हरिजन कहकर पुकारा गया। डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा इन्हें 'डिप्रेस्ड क्लास' कहा गया। इस वर्ग में गरीब, शोषित तथा सामाजिक व धार्मिक रूप से बहिष्कृत वर्ग को शामिल किया गया था। वर्तमान में अनुसूचित जाति के लिए जो शब्द प्रचलन में है वह है –दलित।

रामचंद्र वर्मा ने अपने शब्दकोश में दलित का अर्थ लिखा है–मसला हुआ, दबाया, रौंदा या कुचला हुआ। दलित शब्द के तहत वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है, जिनका शोषण व उत्पीड़न हुआ है।

डॉ० भीमराव अंबेडकर के आंदोलन के बाद यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर स्थित सैकड़ो वर्षों से अस्पृश्य समझी जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता है।

अनुसूचित जाति के सामाजिक प्रतिबंध व अक्षमताएं

वर्ण व्यवस्था में निम्नतम श्रेणी

जाति पदानुक्रम में अनुसूचित जाति की को सबसे न्यूनतम स्तर प्राप्त था। उन्हें अन्य उच्च जाति की तुलना में अपवित्र, अछूत और निम्नतम समझा जाता था। वे अस्पृश्यता के कलंक से पीड़ित रहे हैं। उनका स्पर्श भी उच्च जाति के लोगों के लिए अपवित्र माना जाता था। इसलिए उन्हें अन्य जाति के दास के रूप में देखा गया है। अनुसूचित जाति ने हमेशा दूसरे वर्ग के लोगों की सेवा की है, परंतु अन्य जातियों का रवैया पूर्ण उदासीनता व अवमानना का है। उन्हें अन्य समुदायों से दूरी बनाकर रखा गया।

देश	अनुसूचित जाति जनसंख्या, 2011		
	ग्रामीण	शहरी	कुल
भारत	103,535,165	97,842,921	201,378,086

स्त्रोत :*जनगणना, 2011*

शिक्षा विकलांगता

प्राचीन समय में अनुसूचित जाति के लिए शिक्षा ग्रहण करना भी निषेध था। संस्कृत भाषा को पढ़ना वह बोलना प्रतिबंधित था। सार्वजनिक स्कूलों तथा अन्य शिक्षण संस्थानों पर उनके आवागमन की मनाही थी। उनमें अधिकांश आज भी अज्ञानी व अशिक्षित है।

नागरिक अक्षमताएं

सार्वजनिक स्थानों पर आने–जाने पर प्रतिबंध था। बहुत लंबे समय तक अछूत जाति मानकर इन्हें सार्वजनिक स्थानों तथा सुविधाओं का प्रयोग करने से वंचित रखा गया जैसे– गांव के कुए, तालाब, मंदिर, स्कूल, चौपाल, धर्मशाला, अस्पताल आदि। शुरुआती दिनों में उन्हें शहर और गांव के बाहरी इलाकों में रहने के लिए मजबूर किया गया था। वर्तमान समय में भी वे स्थानिक रूप से दूसरों से अलग है। दक्षिण भारत में उन पर मकान बनाने के तरीके, कपड़े पहनने व आभूषण धारण करने पर भी अनेक प्रतिबंध लगाए गए। महिलाओं को उनके शरीर के ऊपरी भाग को ढकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। उन्हें नाई, धोबी व दर्जी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठाने की भी मनाही थी।

धार्मिक अक्षमताएं

अनुसूचित जातियां आज भी धार्मिक विकलांगता से पीड़ित है। कई स्थानों पर उन्हें वर्तमान में भी मंदिर में आने जाने पर पाबंदी है। ब्राह्मण जो कुछ निचली जातियों को अपनी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं वे अछूत जातियों के समारोह में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होते हैं।

वैदिक मंत्रों का उच्चारण व सुनना भी हरिजनों द्वारा वर्जित था क्योंकि वैदिक मंत्रों को बहुत अधिक शुद्ध व पवित्र माना जाता था।उन्हें केवल उपनिषद के मंत्रों का उच्चारण करने की अनुमति थी क्योंकि,इन मंत्रों को वैदिक मंत्रो की तुलना में कम पवित्र माना जाता था। अनेक स्थानों पर उनके लिए कब्रगाह बनाने से भी इंकार कर दिया गया था।

आर्थिक अक्षमताएं

संपत्ति के स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं

सदियों तक इन्हें जमीन रखने और अपना कारोबार करने की इजाजत नहीं थी। हाल ही में उनके संपत्ति के स्वामित्व को मान्यता प्रदान की गई है। उनमें से भी संपत्तिवान लोग अपेक्षाकृत कम है। उनमें से अधिकांश कृषि पर निर्भर है, परंतु जमीन का स्वामित्व कुछ एक के पास ही है।

व्यवसाय का सीमित चयन

जाति व्यवस्था समाज में रहने वाले वर्गों के लिए व्यवसायिक चयन की पसंद को प्रतिबंधित करती है। अनुसूचित जातियों के लिए व्यवसायिक चयन के लिए सीमित क्षेत्र था। उन्हें उन व्यवसायों को चुनने की मनाही थी, जो व्यवसाय उच्च जाति वर्ग के लिए सुरक्षित थे। उन्हेंपारम्परिक व्यवसायों को चुनने के लिए ही बाध्य किया जाता था, जैसे कि साफ–सफाई, मैला ढोना, चमड़े का काम, मरे हुए पशुओं को उठाना आदि।

भूमिहीन मजदूर

इनमें से अधिकांश समुदाय आज भूमिहीन मजदूरों के रूप में कार्यरत है। भारत में काम करने वाले 90.1 प्रतिशत से अधिक कृषि मजदूर दलित वर्गों से संबंधित है, जिनमें अनुसूचित तथा जनजातियां शामिल है। अधिकांश अनुसूचित जातियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत है। एक बड़े पैमाने परअनुसूचित जातियों के परिवार कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। उच्च जाति के लोगों के द्वारा हरिजन समुदाय का आर्थिक शोषण किया जाता है। यहां तक कि वे आज भी सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी हैं।इनमें से कुछ वर्तमान में भी उच्च जाति वर्ग के यहां बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बाध्य है।

राजनीतिक अक्षमताएं

राजनीतिक मामलों में अछूतों के द्वारा बहुत मुश्किल से ही भाग लिया गया। उन्हें भारत की राजनीति, प्रशासनिक कार्यो से पृथक रखा जाता था। उन्हें भारतीय सरकार में सार्वजनिक उच्च पद पर कार्य करने की भी अनुमति नहीं थी। उनके लिए राजनीतिक अधिकारों के प्रतिनिधित्व को भी नकारा गया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में उन्हें पहली बार वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात हरिजनों को समान राजनीतिक प्रतिनिधित्व व अधिकार प्रदान किए गए।

अनुसूचित जाति का कल्याण

अनुच्छेद 341, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना द्वारा जातियों मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं,जिन्हें इस संविधान के परियोजनों के लिए समझा जाएगा। उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का होना। अनुसूचित जाति भारत की कुल जनसंख्या का 16.6 प्रतिशत है। सामाजिक व आर्थिक सफलता के बावजूद भी भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित लोगों की इतनी बड़ी संख्या का होना एक विडंबना है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 13 के अनुसार धर्म, जाति और नस्ल के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की मनाही करता है लेकिन संविधानवादियों के द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों व अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों को प्रदान की गई विशेष सुविधाओं को समानता के अधिकार का उल्लंघन मानकर अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता।
- अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 समानता का अधिकार प्रदान करते हैं।संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सब लोग समान है। अनुच्छेद 15 धर्म–वंश, मूल–वंश, जाति–लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सामाजिक व शैक्षणिक भेदभाव पर रोक लगाता है। इनके अनुसार किसी भी नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, मनोरंजन के स्थानों, कुओं,स्नानघरों, सड़कों, तालाबों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से नहीं रोका जाएगा।
- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता निर्धारित करता है। परंतु राज्य सार्वजनिक सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के लिए पद आरक्षित कर सकता है।
- अनुच्छेद 17 अनुसूचित जातियों के खिलाफ किसी भी रूप में अस्पृश्यता का कानूनी रूप से अंत कर देता है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर देता है।
- अनुच्छेद 29 यह गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को राज्य या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार प्राप्त है, परंतु यह राज्य को पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान करने से प्रतिबंधित नहीं करता।

आरक्षण

केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थानों में, उपलब्ध सीटों का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित है। ओबीसीएस के लिए अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके इस आरक्षण प्रतिशत को 49.5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

अनुच्छेद 335

यह प्रावधान करता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संघ और राज्य सरकारों की सेवाओं में सेवाओं की दक्षता के अनुरूप नियुक्त किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए सीटों को आरक्षित रखा जाता है।

अनुसूचित जाति व जनजाति के हितों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के पास राज्यों को निर्देश जारी करने की शक्ति है। भारत का संविधान कहता है कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कुछ विशिष्ट राज्यों के मंत्रियों के पास प्रभारी मंत्री होना चाहिए। अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त करने के लिए हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठानों सभी वर्गों के लोगों के लिए खोल दिया गया है।

कानून

भारतीय सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु कई कानून बनाए गए हैं–

- अस्पृश्यता अधिनियम, 1955
- अनुसूचित जाति व जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

आयोग

पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु निम्न आयोगों का गठन किया गया है–

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

निष्कर्ष

आदिकाल से लेकर वर्तमान तक हमने अनुसूचित जातियों की समस्याओं का विश्लेषण किया है। हमने पाया कि कैसे अस्पृश्यता समाज में एक घटना के रूप में अंतर्निहित है तथा अछूतों के लिए उनकी निम्न जाति की स्थिति के कारण सामाजिक गतिशीलता बाधित है। अनुसूचित जातियां धीरे–धीरे छुआछूत और भेदभाव की अपनी अक्षमताओं से जूझने को प्रयासरत है। उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाओं का निर्माण किया गया है। इन सबके बावजूद भी अनुसूचित जातियां समाज की मुख्य धारा के साथ समन्वय बनाने में अक्षम है। समय–समय पर सरकार द्वारा इस वर्ग की उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है, परन्तु ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। इन योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण इनकी समस्याओं का निवारण आज भी पूर्ण रूप से नहीं हो सका।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मिश्रा. डॉ० महेन्द्र कुमार (2014), भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, कल्पना प्रकाशन, जहांगीर पुरी. दिल्ली
2. रवता, डॉ० कैलाश (2016), प्राचीन भारत का इतिहास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, प्रहलाद गली. अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली
3. घुर्रे जी.एस. 1969, कॉस्ट एंड रेस इन इंडिया, पॉपलर प्रकाशन, बांबे
4. बेंजामिन जोसेफ. 1989, शेड्यूल्ड कॉस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसायटी, ई.सी.एस पब्लिकेशनस
5. जनगणना 2011, भारत सरकार
6. नेशनल कमीशन फार SC/ST